राज्यपाल सचिवालय
राजभवन, जयपुर

क्रमांक : एफ.2(3)आरबी/2022/3683 दिनांक : 15 जुलाई, 2022

परिपत्र

इस सचिवालय के समसंख्यक आदेश क्रमांक 2965–2966 दिनांक 10.06.2022 द्वारा जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर में प्रश्नपत्र के परीक्षा से पूर्व ही वायरल होने के संबंध में जांच हेतु डॉ. कैलाश सोढाणी की अध्यक्षता में जांच समिति का गठन किया गया था।

उक्त जांच समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं को सुचितापूर्ण एवं पारदर्शितापूर्ण सम्पन्न कराने के संबंध में निम्न अनुशंषाएं प्रस्तुत की गई है :–

1. परीक्षा के आवेदन पत्र परीक्षा से 3 माह पूर्व तक भरवा लिये जाने चाहिये जिससे छात्रों की संख्या को मद्देनजर रखते हुए परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण उचित ढंग से हो सकेगा।
2. प्रश्न पत्र के प्रत्येक पेज पर परीक्षा केन्द्र का कोड नम्बर अंकित करवाना चाहिये जिससे किसी अनहोनी घटना होने पर दोषी परीक्षा केन्द्र को पकड़ना आसान हो सके। ऐसा होने से सभी परीक्षा केन्द्राधीक्षक भी सचेत रहेंगे।
3. प्रिंटिंग प्रेस स्तर से ही प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर आवंटित छात्र संख्या के आधार पर प्रश्न पत्रों के केन्द्रानुसार पैकेट बनने चाहिये।
4. प्रतिदिन परीक्षा समाप्ति के पश्चात प्रत्येक परीक्षा केन्द्र अपनी उत्तर पुस्तिकाएं नोडल केन्द्र पर जमा करावें।
5. उत्तर पुस्तिकाओं से रोल नम्बर की स्लिप हटाकर काल्पनिक नम्बर आवंटित करके परीक्षक के पास भेजा जाना चाहिये। परीक्षक उत्तर पुस्तिकाओं के नम्बर आनलाईन सीधा एजेंसी को प्रेषित करें।
6. निजी महाविद्यालयों के नियमित छात्र/छात्राओं का परीक्षा केन्द्र अन्य किसी महाविद्यालय में आवंटित किया जाये। इस संबंध में यह भी ध्यान रखा जायें कि दो निजी महाविद्यालयों के छात्र आपस में आवंटित नहीं किये जावें।
7. सभी निजी कॉलेजों के परीक्षा केन्द्रों पर एक राजकीय अधिकारी को स्थायी रूप से पर्यवेक्षक लगाया जाये।
8. परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण पूर्णतया नियमानुसार होना चाहिये।
9. केन्द्राधीक्षक के अतिरिक्त केन्द्र पर परीक्षा के समय किसी भी अन्य व्यक्ति को मोबाईल रखने की इजाजत नहीं होनी चाहिये जिससे पेपर वायरल होने की संभावना समाप्त होगी।
10. दूरदराज के परीक्षा केन्द्रों पर भी प्रायः उड़नदस्ते जाते रहने चाहिये जिससे केन्द्र पर अनुशासन बना रहता है।

11. सभी परीक्षा केन्द्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगे होना आवश्यक है तथा सभी परीक्षाओं के फुटेज सुरक्षित रखे जाने चाहिये। विश्वविद्यालय की मांग पर फुटेज तत्काल उपलब्ध कराया जाना चाहिये।
12. पूर्व वर्ष की परीक्षा में अप्रयुक्त प्रश्न पत्रों का उपयोग आगामी वर्ष की परीक्षा में नहीं किया जाना चाहिये।
13. सामूहिक नकल में दोषी पाये जाने वाले परीक्षा केन्द्रों के महाविद्यालयों की सम्बद्धता समाप्त की जानी चाहिये परन्तु अपरिहार्य परिस्थिति में यदि सम्बद्धता समाप्त नहीं की जा सकती तो भविष्य में उसे परीक्षा केन्द्र नहीं बनाना चाहिये।
14. सभी परीक्षा केन्द्रों पर वीक्षकों की नियुक्ति विश्वविद्यालय मापदण्डों के अनुसार होनी चाहिये।

माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के निर्देशानुसार जांच समिति से प्राप्त उक्त अनुशंषाएं विश्वविद्यालयों में परीक्षाओं की प्रक्रिया को सुसंगत एव पारदर्शी बनाने के लिए पालना किया जाना सुनिश्चित करावें।

राज्यपाल की आज्ञा से,

— ह० —

(सुबीर कुमार)
प्रमुख सचिव,
राज्यपाल, राजस्थान

क्रमांक : एफ.2(3)आरबी/2022/3684 दिनांक : 15 जुलाई, 2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख विशेषाधिकारी, माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति, राजस्थान, जयपुर।
2. कुलपतिगण, समस्त राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालय, राजस्थान।
3. शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
5. रक्षित पत्रावली।

प्रमुख सचिव,
राज्यपाल, राजस्थान

D:\GOVT. UNIV\General\General Letter.docx